न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

2021
202

मुकदमा नंबर :– 137 / 2021

प्रार्थी :–

1. नवलाराम पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी गांव टापरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. सारो पत्नी डायाजी
2. डायाराम पुत्र कोजाराम
3. नारायणराम पुत्र देदाराम
4. गेरोदेवी पत्नी देदाराम
5. खुशाल पुत्र जेठाराम
6. खेताराम पुत्र गोदपुत्र वीराजी
7. नरसिंगाराम पुत्र लखमाराम
8. पदमाराम पुत्र लखमाराम
9. नारायण पुत्र लखमाराम
10. गेरो पुत्री लखमाराम
11. तेजु पुत्री लखमाराम सभी जातियान कलबी
12. रतनाराम पुत्र निम्बाराम जाति जाट
13. शाखा मैनेजर एसबीबी जे कम एसबीआई शाखा टापरा
14. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा।
15. लाली देवी पत्नी रूपाराम जाति जाट

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955</u>

उपस्थित :– 1. श्री अचलाराम थोरी वकील प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण :– एकपक्षीय

<u>आदेश</u> दिनांक :– 13.09.2022

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 272 रकबा 42–04 बीघा सरहद मौजा टापरा पटवार हल्का टापरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर की भूमि में आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु तक विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 270 रकबा 52 बीघा, खसरा संख्या 946/269 रकबा 22–09 बीघा, खसरा संख्या 268 रकबा 8–03 बीघा भूमि में से संलग्न नजरी नक्शा में परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये मार्क बरंग लाल से मार्क ए से बी कटाण रास्ता सडक तक चालू आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित कराने का आवेदन प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस विप्रार्थीगण [illegible] तलबी [illegible] गयी। विप्रार्थीगण को जारी रजिस्ट्रर्ड नोटिस बाद तामील के अनुपस्थित रहे [illegible] एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। आवेदन के तथ्यों के सम्बन्ध में मू0अभिलेख निरीक्षक जसोल से मौका रिपोर्ट तलब की गयी । भू.अभि.नि. जसोल द्वारा दिनांक 29.8.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार प्रार्थी के खसरा संख्या 272 प्रार्थी के द्वारा रास्ता हेतु चाहे गये विप्रार्थी के खसरा संख्या 270, 946/269 व 268 के मौके पर गया । उभय पक्ष के विधिवत नोटिस जारी किये गये सेढा पडौसियो व गांव के मुखियों के रूबरू मौका फर्द तैयार की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:10:20 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि उपरोक्त खसरान मे से दिया जाना उचित होगा अन्य नजदीकी रास्ता /सडक नहीं है प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है किसी प्रकार का कच्चा व पक्का निर्माण नहीं है । मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 270 में से 0–16 बीघा, खसरा संख्या 946/269 मे से 0–10 बीघा, खसरा संख्या 268 में से 0–03 बीघा भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावति की गयी है ।

विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी । दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 272 रकबा 42–04 बीघा सरहद टापरा पटवार क्षेत्र टापरा में कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए विप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के खसरा संख्या 270 रकबा 52 बीघा विप्रार्थी संख्या 7 से 11 व 15 के खसरा संख्या 946/269 रकबा 22–09 बीघा एवं विप्रार्थी संख्या 12 के खसरा संख्या 268 रकबा 8–03 बीघा मे से परिशिष्ट 'अ' बरंग लाल मार्क ए से बी दर्शाये अनुसार रास्ता घोषित करने का निवेदन किया । एवं आई.एल.आर जसोल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर सहमती व्यक्त की गयी ।

हमने विद्ववान प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा भू.अ.नि. जसोल द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 09.8.2022 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत मौजा टापरा, पटवार क्षेत्र टापरा, भू अभिलेख निरीक्षक जसोल तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा नम्बर 272 रकबा 42–04 बीघा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 270 में से 0–16 बीघा, खसरा संख्या 946/269 मे से 0–10 बीघा, खसरा संख्या 268 में से 0–03 बीघा भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित करते हुए बताया की अन्य कोई नजदीकी रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रस्तावित रास्ता ही उपयुक्त व नजदीकी रास्ता है । भू अभिलेख निरीक्षक जसोल की मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी ने भी सहमती प्रकट की है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी खातेदारी काश्तकार होने से 251– अ आर.टी.के एक्ट के अन्तर्गत खेतीहर कार्य हेतु रास्ता पाने का हकदार होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं होती है ।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी[illegible] 42–04 बीघा मे आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 270 रकबा 5[illegible] मे से 0–16 बीघा, खसरा संख्या 946/269 रकबा 22–09 बीघा मे से 0–10 बी[illegible] खसरा संख्या 268 रकबा 08–03 बीघा में से 0–03 बीघा [illegible] दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित [illegible] जाता है कि प्रस्तावित रास्ते मे कटाण होने वाली भूमि की डी.एल.सी रेट खसरा संख्या 268 की प्रति बीघा 68040, रूपये, खसरा संख्या 946/269 की प्रति बीघा 42525 रूपये, खसरा सख्या 270 की प्रति बीघा 42525 रूपयें के अनुसार दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये खसरा संख्या 268 के खातेदारान को 20,415 रूपये, खसरा संख्या 946/269 के खातेदारान को रूपये 42530, खसरा संख्या 270 के खातेदारान को रूपये 68040 विप्रार्थीगण को नियमानुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh So
Date: 2022.10.05 19:10:20 IS
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

संबधित खातेदारान द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं करने की स्थिति में राशि राजकोष में जमा की जाकर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार उक्त रास्ते की भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 09.08.2022 इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा व इस निर्णय का भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 13.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:10:20 IST
Reason: SelfAttested